CSIR-INSTITUTE OF MICROBIAL TECHNOLOGY (COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL REASERACH) SECTOR-39/A, CHANDIGARH

NO. IMT/STORES/EMPTIES/2016-II/20

Dated 27.09.2016

DISPOSAL OF SCRAP

CSIR-Institute of Microbial Technology, Sector-39/A, Chandigarh is interested to dispose of the scrap "As is Where is & What is Basis" through on the spot Auction basis. The scrap containing Waste Cardboard, packing wooden material, empty Glass bottles, broken plastic scrap, Iron Scrap etc. in one small lot only.

The interested bidders may participate for open auction <u>at 11.00 AM. on 07 October,2016</u> in Stores & Purchase Section.

Bidders may note the following terms & Conditions:

- 1. The materials offered for disposal is on "AS IS WHERE IS & WHAT IS BASIS" ex-godown in unpacked condition. Taxes & duties, if any, that may be levied by the Govt. will be extra as applicable and shall be borne and deposited by the highest successful bidder before lifting the material.
- 2. The bidder may inspect the scrap on the same day before auction to satisfy themselves about the quality & condition of the materials offered. No complaint whatsoever will be entertained after the auction is over/scrap lifted.
- 3. The materials will be disposed off in a single lot and the bidders will have to submit price for complete lot.
- 4. The lot will be awarded to the highest bidder.
- 5. The person authorized by the purchaser will be allowed to take delivery.
- 6. The materials will be allowed to be lifted between 10.00 AM to 4.00 PM on any working days. No picking, Choosing or sorting will be allowed in the premises for the disposal lots.
- 7. The labour, transport and other arrangements for lifting the material will have to be made by the purchaser at their risk, cost and responsibility.
- 8. If any theft/fire/damage or any type of mis-happening occurs within the period of award of lot and removing of materials from IMTECH premises the loss will be borne by the bidder. IMTECH will not be responsible for loss, damage or deterioration of the material due to any cause, whatsoever within the said time
- 9. IMTECH reserves the right to cancel the Tender of disposal or withdraw any lot or part thereof from the sale without-assigning any reason thereof.

(MOHINDER KUMAR)

STORES AND PURCHASE OFFICER

सीएसआइआर-सूक्ष्मजीव प्रीद्योगिकी संस्थान, सैक्टर-39ए, चंडीगढ़

सं: आईएमटी/मंडार/एम्पटीस/2016-11/20

दिनाक:27.09.2016

स्क्रेप का निपटान

सीएसआइआर-सूरमजीव प्रौद्यांगिकी संस्थान, सैन्टर-39ए, चंडीगढ़, स्क्रैप सामग्री जैसे कार्ड बोर्ड, तकड़ी की पैकिंग सामग्री,खाली बोतलें, हो है का स्क्रैप ,प्लास्टिक स्क्रैप आदि को "जहां है-जैसी है और जो है" के आधार ऑन दी स्पॉट नीलामी द्वारा निपटान का इच्छुक है।

इच्छुक बोलीदाता अंडार एवं क्रय अनुभाग में दिनांक 07,10.16 को प्रात: 11:00 बजे ऑन दी स्पॉट नीलामी के लिए सम्मिलित हो सकते है।

बोनीदाताओं के लिए नियम एवं शर्ते:-

- सामग्री "जहां है-जैसी है और जो है" के आधार पर एक्स गोडाऊन बिना पैक की गई स्थित में है । सरकार द्वारा लिए जाने वाले शुल्क एवं करों का भुगतान अलग से करना होगा तथा अधिकतम मूल्य की निविदा देने वाले सफल निविदाकर्ता द्वारा सामग्री उठाने से पूर्व इनका भुगतान करना होगा।
- बोलीदाता सामग्री की गुणवता एवं स्थित के संबंध में अपने संतोष के लिए उसी दिन नीलामी पूर्व सामग्री को देख सकतें हैं। नीलामी /स्क्रैप ले जाने के बाद किसी भी प्रकार की शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 3. सामग्री का एक ही लॉट में निपटान किया जाएगा तथा निविदाकर्ता को पूरे लॉट का मूल्य लगागा होगा।
- 4. सबसे अधिक बोली लगाने वाले बोलीदाताओं को स्क्रैप सामग्री ले जाने की अनुमति दी जाएगी।
- 5. खरीददार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति सामग्री की डिलीवरी से सकता है।
- 6. सामग्री को किसी भी कार्य दिवस पर प्रात: 10.00 बजे से साय 4.00 तक ले जाया सकता है। सामग्री के निपटान के लिए परिसर में सामग्री की छँटाई आदि की अनुमति नहीं होगी।
- 7. खरीददार द्वारा मजदूरी, परिवहन एवं अन्य व्यवस्थाएं अपने जोखिम, लागत एवं ज़िम्मेंदारी पर करनी होंगी।
- 8. अवार्ड जारी होने तथा सामग्री को संस्थान परिसर से ले जाने के बीच यदि कोई चोरी/आग/क्षिति या अन्य किसी औ प्रकेश की दुर्घटना होती है तो उस क्षिति की ज़िम्मेदारी बोलीदाता की होगी। इमटेक उक्त अवधी में सामग्री में हुई किसी भी प्रकार की क्षिति,नुकसान,क्षय के लिए किसी भी स्थित में जिम्मेदार नहीं होगा।

9. इसटेक को बिना कारण बताए किसी भी समय सामग्री अथवा उसके किसी लॉट की बिक्री को रोकने का अधिकार है।

भा १६ (

अंडार एवं क्रय अधिकारी